सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/299 दर्ज तिथिः–2.12.2021

1. शिवजीराम पुत्र नानजीराम
2. सांवलाराम पुत्र नानजीराम
3. हरीयादेवी पत्नी नानजीराम
4. जातियान मेघवाल, निवासीयान भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. हरचन्द पुत्र भैराराम
2. भलाराम पुत्र भैराराम
3. फुलाराम उर्फ फूसाराम पुत्र भैराराम
4. माधाराम पुत्र भैराराम
5. जगाराम पुत्र मांगाराम
6. कृष्णाराम पुत्र मांगाराम
7. पारसाराम पुत्र मांगाराम
8. लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम
9. जोईताराम पत्नी हरदाराम
10. रमेश पुत्र हरदाराम
11. वजाराम पुत्र केसाराम
12. दलाराम पुत्र केसाराम
13. सांवलाराम पुत्र पोकराराम फौत के कायम मुकाम
    13/1 बीरबल पुत्र सांवलाराम
    13/2 खुशी पुत्री सांवलाराम
    13/3 लवगोंदेवी पत्नी सांवलाराम
14. शनिदेव पुत्र पोकराराम
15. गौतम पुत्र पोकराराम
16. गोविन्द पुत्र पोकराराम
17. सुरेश कुमार उर्फ सुरज पुत्र पोकराराम
18. दाडमी पुत्री पोकराराम
19. एलची पुत्री पोकराराम
20. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पोकराराम
21. चनणी पत्नी पोकराराम
22. कालूराम पुत्र रूघाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:44 IST
Reason: SelfAttested

23. जेठाराम पुत्र रावताराम
24. गंगदा पुत्र रावताराम
25. भगवानाराम पुत्र केसाराम
26. मोहनराम पुत्र केसाराम
27. रमकु पत्नी केसाराम
28. मोमताराम पत्नी नरसीराम
29. मसराराम पुत्र नरसीराम
30. जमना पत्नी नरसीराम
31. नगाराम पुत्र रणछाराम
32. सुजानाराम पुत्र मजीदाराम
33. धुखाराम पुत्र मजीदाराम
34. चेतनराम पुत्र लिछमणराम
35. चेलाराम पुत्र लिछमणराम
36. जबराराम पुत्र लिछमणराम
37. देशुदेवी पत्नी लिछमणराम
38. भैराराम पुत्र किस्तुराराम
39. जगाराम पुत्र किस्तुराराम
40. बाबुराम पुत्र किस्तुराराम
41. पुनमाराम पुत्र किस्तुराराम
42. बादली पत्नी प्रहलादराम
43. पुनमाराम गोदपुत्र प्रहलादराम
44. कृष्णाराम पुत्र मोटाराम
45. भवाराम पुत्र मोटाराम
46. आसुराम पुत्र मोटाराम
47. बगाराम पुत्र मोटाराम
48. हरचन्दराम पुत्र मोटाराम
49. तारी पत्नी मोटाराम
50. अदराराम पुत्र सुरताराम
51. छगनाराम पुत्र सुरताराम
52. भगाराम पुत्र सुरताराम
53. सवदाराम पुत्र सालुराम
54. प्रभुराम पुत्र सालुराम
55. भंवराराम पुत्र सालुराम
56. मथरी पत्नी सालुराम
57. महादेवराम पुत्र वनाराम
58. छोगाराम पुत्र धन्नाराम
59. जैसाराम पुत्र मुलाराम
60. मोबताराम पुत्र मुलाराम
61. रमकु पत्नी जैसाराम
62. बादली पत्नी भैराराम
63. इन्द्रा पत्नी सवाराम फौत के कायम मुकाम
    63/1 भागीरथ पुत्र सवाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:44 IST
Reason: SelfAttested

63/2 दुर्गाराम पुत्र सवाराम
64. श्रीमान शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी
65. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीः– श्री हरिराम विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी जवानाराम पुत्र परबताराम के नाम वक्त बंदोबस्त परबताराम के अन्य भाईयों टीकमा, केसा, केवदा, के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुई। जवानाराम पुत्र परबताराम की मृत्यु के पश्चात पुत्र नानजीराम पुत्र जवानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। तत्पश्चात नानजीराम पुत्र जवानाराम की मृत्यु के पश्चात विरासत में प्रार्थीगण को उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी में प्राप्त हुई। प्रार्थीगण के पूर्वज जवानाराम अपने चाचा खेतीराम पुत्र पन्नाराम के साथ रहने लगे। खेतीराम पुत्र पन्नाराम की सेवा चाकरी जवानाराम ने की। परबताराम के देहांत के पश्चात वक्त बंदोबस्त व खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात खेतीराम ने जवानाराम को गोद ले लिया। इस प्रकार खेतीराम का हक भी जवानाराम के नाम दर्ज हो गया। तब से ही जवानाराम व वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त दोनो हिस्सो की आराजी पर काबिज काश्त है। परंतु वर्तमान में उक्त आराजी पर पानी की प्रचुरता होने एवं भूमि की कीमतों में भारी बढोतरी होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01–21 प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं उक्त आराजी का बेचान करने पर आमदा हैं। अगर अप्रार्थी संख्या 01–21 प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं उक्त आराजी का बेचान करने में सफल होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अंत में उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज भीमा के दो पुत्र मनरों व पन्ना थे। मनरों के एक पुत्र रतना था। रतना पुत्र मनरों छोटी अवस्था में ही फौत हो गया। पन्ना के दो पुत्र परबता व खेतीराम थे। परबता के चार पुत्र टीकमा, जवाना, केसा व केवदा थे। खेतीराम के कोई औलाद नहीं थी। खेतीराम के कोई औलाद नहीं होने के कारण खेतीराम ने जवाना को गोद ले लिया। तत्पश्चात जवाना खेतीराम की जमीन पर काबिज होकर खेतीराम के साथ रहने लगा। इसी प्रकार टीकमा, केसा व केवदा परबता की जमीन पर काबिज होकर परबता के साथ रहने लगे। परबताराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:44 IST
Reason: SelfAttested

की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी टीकमा, केसा व केवदा ने किया। जागीरकाल में रतना पुत्र मनरों की कब्जा काश्त भूमि पर परबता पुत्र पन्ना की कब्जा काश्त थी। परबता के फौत होने पर तीनों पुत्र टीकमा, केसा व केवदा की कब्जा काश्त वर्तमान में है। उक्त आराजी पर जवाना गोदपुत्र खेती की कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रही। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01–21 को परेशान करने की वजह से उक्त दावा प्रस्तुत किया है।

3. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01–21 ने भी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिअनुतोष चाहते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण जवानाराम गोदपुत्र खेतीराम की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का केवल खसरा संख्या 183 मौजा भाखरपुरा पर ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। शेष आराजी पर प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त गलत दर्ज रिकॉर्ड नाम को विलोपित करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिदावा पेश किया गया है। इस प्रकार शेष आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः उक्त अप्रार्थीगण के प्रतिदावा के फैसल होने तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया।

5. इस प्रकार प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त दावा के फैसल होने तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहमत है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी पर ताफैसल दावा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 10.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:44 IST
Reason: SelfAttested